UPBJ010067012022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– प्रशान्त मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06174

फौजदारी निगरानी सं0–393/2022

नजाकत हुसैन उर्फ शहजाद उम्र 35 वर्ष पुत्र शराफत हुसैन, निवासी मौ0 पश्चिमी मिल्कीयान, तकी सराय, हाजी वाली मस्जिद के पास, कस्बा व थाना स्योहारा, जिला बिजनौर।

.....निगरानीकर्ता/अभियुक्त।

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार ।
2–श्रीमती ऐनी निशा उम्र 29 वर्ष पत्नी नजाकत हुसैन उर्फ शहजाद पुत्री मौ0 आफाक, निवासी मौ0 मिल्कीयान, तकी सराय, हाजी वाली मस्जिद के पास, कस्बा व थाना स्योहारा, जिला बिजनौर।

.....विपक्षी/परिवादीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय, अतिरिक्त सिविल जज (सी0डी0) कोर्ट नं02, बिजनौर, द्वारा परिवाद सं0 2716/2022, श्रीमती ऐनी निशा बनाम नजाकत हुसैन आदि, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर में पारित आदेश दिनांकित 20–08–2022 के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा योजित की गई है। आक्षेपित आदेश दिनांकित 20–08–2022 के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त नजाकत हुसैन एवं अन्य अभियुक्तगण शबाहत हुसैन, आजम, शराफत व सन्नो को धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत तलब किया गया है।

2– फौजदारी निगरानी की पृष्ठभूमि में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादनी द्वारा परिवाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि परिवादनी का

विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनॉक 30.06.2021 को प्रतिपक्षी नजाकत हुसैन के साथ हुआ था और शादी में 12 लाख रूपये खर्च किए थे। परिवादनी की ससुराल वाले शादी में दिए गए उपहार से खुश नहीं थे। परिवादनी से आल्टो कार, सास व नन्दो के लिए सोने का हार एवं उसका पति अलग से अपना कारोबार करने के लिए पॉच लाख रूपये नकद की मॉग करता था। दिनॉक 05.11.2021 को वादनी का पति नजाकत, ससुर शराफत, शबाहत, आजम, नय्यर सुल्ताना, फरहीन तथा सास सन्नो ने आपस में हमसाज होकर परिवादनी के साथ मारपीट की तथा उक्त घटना के संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 12/2022 दर्ज कराया। दिनॉक 03.04.2022 को समय करीब 02:00 बजे दिन अभियुक्तगण नजाकत हुसैन, शबाहत, आजम, शराफत हुसैन, सन्नो, फरहीन व नय्यर सुल्ताना आपस में हमसाज होकर आये तथा परिवादनी के यह कहने पर कि जब तुम मुझे बतौर पत्नी रखने को तैयार नहीं हो तो मुझे मेरा स्त्रीधन वापस कर दो। इस बात पर अभियुक्तगण ने परिवादनी के साथ मारपीट की और गंदी गंदी गालियॉ दी और स्त्रीधन वापस करने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।

3– परिवादनी द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं का साक्ष्य तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत मौखिक साक्ष्य के रूप में इशरत जहॉ व जावेद को परीक्षित कराया गया है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/निगरानीकर्ता नजाकत हुसैन एवं अन्य अभियुक्तगण शबाहत हुसैन, आजम, शराफत व सन्नो को धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाते हुये आदेश दिनांकित 20–08–2022 के द्वारा जरिये समन तलब किया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा यह निगरानी योजित की गयी।

5– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से कहा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 20–08–2022 तथ्यो के विपरीत है तथा उक्त आदेश पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। परिवादनी द्वारा अपनी चोटो का कोई मेडिकल दाखिल नहीं किया गया। परिवादनी ने निगरानीकर्ता पर उसके विरूद्व चल रहे मुकदमें में दबाब बनाने के लिए झूॅठे मुकदमें कर रही है। विचारण न्यायालय द्वारा परिवादनी एवं उसके

साक्षियो के साक्ष्य सही मूल्यांकन नहीं किया है। परिवाद में परिवादनी एवं उसके साक्षियो के बयानों में काफी विरोधाभाष है। इन तथ्यो पर विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को गलत तलब किया गया है।

6– उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20–08–2022 को निरस्त करने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

7– विपक्षी संख्या 01 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है, उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

8– निगरानीकर्ता एवं विपक्षी सं0 2 की ओर से विगत कई तिथियो से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हुए। उनकी बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9– विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं का साक्ष्य तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत इशरत व जावेद को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपने सशपथ बयान में परिवादपत्र में वर्णित तथ्यो का समर्थन किया है। तलबी के स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला देखना होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर द्वारा अभियुक्त/निगरानीकर्ता नजाकत हुसैन एवं अन्य अभियुक्तगण को धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत संज्ञान लेने के लिए विचारण हेतु सही तलब किया गया है।

10– उपरोक्त विवेचना के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20–08–2022 सही है व प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा आलोच्य आदेश पुष्ट होने योग्य है।

आदेश

11– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या 393/2022 नजाकत बनाम सरकार आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20–08–2022 पुष्ट किया जाता है।

12– फौजदारी निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये तथा विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित अविलम्ब प्रतिप्रेषित की जाये।

दिनांकः 28–04–2025

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-06174

13– यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एव दिनांकित करके खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

दिनांकः 28–04–2025

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-06174

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2025.04.29 10:00:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court